निदेश सं 86

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. एस. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

एफ. सं. ए 110018/01/2021-सीएक्यूएम/1193 **दिनांकः 02.01.2024**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021, उसके तहत बनाए गए नियमों या आयोग द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश के किसी भी प्रावधान का गैर-अनुपालन या उल्लंघन - के संबंध में।

1. जबकि, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है | (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित)|

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निदेश आदि जारी करे जैसा कि वे आवश्यक या व्यावहारिक समझे |

3. जबकि, आयोग इस बात पर प्रकाश डालता रहा है कि वाहनों और परिवहन क्षेत्र से होने वाला प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न धूल, कृषि पराली जलाना, सड़क और खुले क्षेत्रों से होने वाला धूल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों से होने वाला प्रदूषण, नगरपालिका ठोस/प्लास्टिक अपशिष्ट जलाना, बायोमास जलाना, सेनेटरी लैंडफिल्स में आग लगना और अन्य प्रासंगिक घटनाएं जिनमें विविध बिखरे हुए स्रोत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां शामिल हैं, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए प्रमुख योगदान कारक हैं;

4. जबकि, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाली धूल, अन्य बातों के अलावा, इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख और निरंतर स्रोत है और इन गतिविधियों से उत्पन्न धूल की बड़ी मात्रा परिवेशी वायु में पीएम 2.5/पीएम 10 के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है;

5. जबकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित विभिन्न एजेंसियों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हुए "निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016" अधिसूचित किया। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण गतिविधियों के लिए धूल की रोकथाम, नियंत्रण और शमन उपायों पर दिशा-निर्देश भी जारी किए थे;
6. जबकि, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल प्रदूषण के उपशमन के संदर्भ में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश और नीति दिशा-निर्देशों में धूल नियंत्रण और शमन उपायों की एक श्रृंखला शामिल है:

i. परियोजना की सीमा पर वायु अवरोधक/ब्रेकर लगाना;

ii. धूल स्क्रीन का प्रावधान, विशेष रूप से परियोजना स्थलों पर निर्माणाधीन क्षेत्र को ढंकना;

iii. पानी के छिड़काव, पानी की धुंध और धूल दबाने वाले पदार्थों का नियमित उपयोग;

iv. निर्माण सामग्री के साथ-साथ मलबे को उचित तरीके से ढंकना;

v. निर्माण सामग्री और मलबे/सीएंडडी अपशिष्ट का परिवहन केवल ढके हुए वाहनों में करना।;

7. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/डीपीसीसी में एसपीसीबी द्वारा की गई आवधिक समीक्षा, निरीक्षण और साथ ही आयोग के उड़न दस्तों द्वारा किए गए नमूना निरीक्षण आम तौर पर परियोजना समर्थकों द्वारा उनके परियोजना स्थलों पर विभिन्न वैधानिक निर्देशों/नियमों/आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन और अप्रभावी कार्यान्वयन के असंतोषजनक स्तरों की और संकेत करते हैं, जिसमें खुले/अर्ध-खुले ट्रकों में निर्माण सामग्री/विध्वंस मलबे के परिवहन के कारण भारी धूल प्रदूषण की चिंताएं शामिल हैं;

8. जबकि, समग्र पीएम 2.5/पीएम 10 सांद्रता में धूल का उच्च योगदान और संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है |

9. जबकि, महत्वपूर्ण सर्दियों के महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आमतौर पर प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य के मद्देनजर, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) वायु प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के आधार पर, प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहचान की गई एजेंसियों द्वारा शुरू / कार्यान्वित किए जाने वाले निवारक / प्रतिबंधात्मक आपातकालीन उपायों के विशिष्ट सेट का प्रावधान करता है और आयोग ने समय-समय पर इसके कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं;

10. जबकि, आयोग द्वारा जारी निर्देश बाध्यकारी प्रकृति के हैं और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी आयोग द्वारा जारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं;

11. जबकि, धारा 12(2)(xi) के तहत अधिनियम विशेष रूप से आयोग को किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जो ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा;

12. जबकि, अधिनियम की धारा 14 यह भी निर्धारित करती है कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान, उसके तहत बनाए गए नियमों या आयोग द्वारा जारी किसी भी आदेश या निर्देश का कोई भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा; |

13. जबकि, अधिनियम की धारा 14(2) यह निर्धारित करती है कि ऐसा अपराध गैर-संज्ञेय होगा और प्रथम श्रेणी के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, जो आयोग या आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा अपराध का संज्ञान नहीं लेगा;

14. जबकि, कार्यान्वयन/पर्यवेक्षण एजेंसियों द्वारा तथा सार्वजनिक शिकायतों और अभ्यावेदनों आदि के माध्यम से आयोग के वैधानिक निर्देशों और आदेशों का घोर उल्लंघन देखा और रिपोर्ट किया गया है और आयोग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध तथा समय-समय पर आयोग द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी उचित कठोर कार्रवाई शुरू करना आवश्यक समझा है;

15. जबकि, 500 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लॉट पर सी एंड डी परियोजनाओं की दूरस्थ निगरानी का कार्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एसपीसीबी/डीपीसीसी द्वारा किया जाना है, ये एजेंसियां संबंधित वेब-पोर्टल की संरक्षक होने के कारण हैं, आयोग ने 02.12.2024 के सांविधिक निर्देश संख्या 85 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य-सचिवों/डीपीसीसी के सदस्य सचिवों को आयोग की "सुरक्षा और प्रवर्तन" के लिए सांविधिक उप-समिति के सदस्यों के रूप में उनकी विशिष्ट भूमिका और क्षमता में परियोजना प्रस्तावकों/निष्पादन एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है, ऐसे स्थलों पर धूल/वायु प्रदूषण नियंत्रण और शमन उपायों के संबंध में निर्देशों/आदेशों के घोर उल्लंघन के मामले में, ऐसे स्थलों को बंद करने का आदेश देने और 500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्र पर सीएंडडी परियोजनाओं में घोर उल्लंघन के ऐसे मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने/वसूली करना शामिल है |

16. जबकि, किसी भी समय 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर बड़ी संख्या में निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं, विशेष रूप से दिल्ली से सटे प्रमुख शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में, जिनका निर्माण और विध्वंस क्षेत्र के कारण कुल पीएम-10 और पीएम-2.5 भार में उल्लेखनीय रूप से बड़ा योगदान है।

17. जबकि, ऐसे शहरों में संबंधित नगर निकाय/यूएलबी बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं/गतिविधियों से धूल प्रदूषण के निवारण की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं;

18. अतः अब, इस संबंध में आयोग द्वारा जारी विभिन्न निदेशों, परामर्शों, आदेशों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और अन्य संबंधित प्राधिकरणों जैसे सीपीसीबी, एसपीसीबी/डीपीसीसी और राज्य सरकारों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तहत अन्य एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभिन्न धूल शमन उपायों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में, आयोग, धारा 14 (2) के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त; नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सचिव; और दिल्ली से सटे प्रमुख शहरों में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्तों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अधिकृत करता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धूल/वायु प्रदूषण नियंत्रण और शमन उपायों के संबंध में निर्देशों/आदेशों के घोर उल्लंघन के मामले में क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत/अभियोजन दायर करने के अलावा ऐसे स्थलों को बंद करने और घोर उल्लंघन के ऐसे मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने/वसूली करने का आदेश देने के अलावा, सीएंडडी गतिविधियों के संबंध में जीआरएपी अनुसूची के तहत शुल्क भी शामिल है।

19. आयोग के उपरोक्त निर्देशों का पूरी ईमानदारी से अनुपालन किया जाए और इस संबंध में दर्ज शिकायतों की स्थिति से आयोग को मासिक आधार पर अवगत कराया जाए और मासिक प्रगति रिपोर्ट आयोग को पहले से ही प्रस्तुत की जा रही है।

हस्ता ०
(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव
फोन न. 011-23701197
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में,

1. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम

2. सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

3. हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य कार्यकारी

संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों को आगे प्रसार और आवश्यक निर्देशों के अनुरोध के साथ प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
5. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
7. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
8. अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्रतिलिपि:

आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्य।

हस्ता ०
(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव